भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1929

जिसका उत्तर 14 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है।

.....

पंजाब में अटल भू-जल योजना

1929. श्री सुशील कुमार रिंकू

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अटल भू-जल योजना की विशेषताएं क्या हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पंजाब में इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पंजाब में इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है और अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या कृषि में भू-जल उपयोग की दक्षता में सुधार लाने के लिए अटल भूजल योजना के अंतर्गत कोई विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पंजाब सहित देश भर में भू-जल की खराब होती गुणवत्ता में सुधार करने और/अथवा इसकी जांच करने के लिए कोई रिपोर्ट तैयार की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क): अटल भूजल योजना एक अनूठी योजना है जो भूजल विकास से भूजल प्रबंधन की ओर एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है। योजना की मुख्य विशेषताओं में समुदाय आधारित निगरानी और भूजल डेटा साझा करना, योजना, क्षमता निर्माण और केंद्रित सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां शामिल हैं। भूजल के संरक्षण के लिए सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, पाइपलाइनों का उपयोग आदि जैसे मांग आधारित उपायों पर ध्यान केंद्रित करने वाली यह पहली योजना है। ग्राम पंचायत (जीपी) वार जल सुरक्षा योजनाओं (डब्ल्यूएसपी) में जल बजट और प्रस्तावित मांग आधारित उपायों जैसे सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, पाइपलाइनों का उपयोग आदि और आपूर्ति आधारित उपायों जैसे चेक बांध, फार्म तालाब, रिचार्ज शाफ्ट और अन्य कृत्रिम पुनर्भरण/जल संरक्षण संरचनाएं चल रही योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से तैयार और क्रियान्वित की जाती हैं, के बारे में विवरण है। ।

(ख) और (ग): अटल भूजल योजना पंजाब में लागू नहीं की जा रही है।

(घ): यह योजना समुदाय द्वारा संचालित भूजल के स्थायी प्रबंधन पर केंद्रित है। निरंतर सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) और जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से, इसमें समुदाय के व्यवहार को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में सुधार सहित भूजल के स्थायी प्रबंधन की ओर उन्मुख करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि में भूजल उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में सूक्ष्म सिंचाई जैसी जल कुशल कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, कम पानी वाली फसलों के लिए फसल विविधीकरण, सीधे बीज वाले चावल (डीएसआर) की ओर स्विच करना, पाइपलाइनों का उपयोग आदि के अभिसरण के माध्यम शामिल हैं।

(ङ.) और (च): जल राज्य का विषय है, अत: इसकी गुणवत्ता पर पहल करना मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। हालाँकि, इस मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) पूरे देश में विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों और समय-समय पर भूजल गुणवत्ता निगरानी के दौरान पंजाब राज्य सहित क्षेत्रीय पैमाने पर भूजल गुणवत्ता डेटा तैयार करता है। पंजाब राज्य सहित देश में भूजल गुणवत्ता पर विभिन्न रिपोर्ट संबंधित एजेंसियों द्वारा आगे उपयोग के लिए सीजीडब्ल्यूबी वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं।

इसके अलावा, देश में भूजल गुणवत्ता सुधार को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं:

1. आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए सीजीडब्ल्यूबी के पास उपलब्ध भूजल गुणवत्ता के डेटा को संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया जा रहा है।
2. मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम (एनएक्यूयूआईएम) के तहत, भूजल में आर्सेनिक जैसे विषाक्त पदार्थों द्वारा प्रदूषण सहित भूजल गुणवत्ता के पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सीजीडब्ल्यूबी ने आर्सेनिक प्रभावित कई क्षेत्रों में आर्सेनिक सुरक्षित कुओं के निर्माण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है और राज्य सरकारों के साथ ऐसी तकनीक की जानकारी सक्रिय रूप से साझा कर रहा है।
3. भूजल प्रदूषण को रोकने और दूषित पानी के सुरक्षित उपयोग सहित भूजल के विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर जागरूकता सृजन कार्यक्रम/कार्यशाला आयोजित की जा रही है।
4. जल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए किए गए उपाय जैसे भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकायों का संरक्षण/पुनरुद्धार आदि प्रभावी रूप से प्रदूषण की समस्या का भी समाधान करते हैं। इस दिशा में, सीजीडब्ल्यूबी ने भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 तैयार किया है और परियोजना और अपेक्षित निवेश की एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करते हुए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा किया है। मास्टर प्लान में 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) पानी एकत्र करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। पंजाब में, मास्टर प्लान में लगभग 1200 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) वर्षा जल प्राप्त करने करने के लिए लगभग 11 लाख वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं की परिकल्पना की गई है।

5. भारत सरकार ने वर्ष 2019 में जल शक्ति अभियान (जेएसए) शुरू किया, जो मिशन मोड दृष्टिकोण के साथ एक समयबद्ध अभियान है, जिसका उद्देश्य भारत के 256 जिलों (पंजाब के 20 जिलों सहित) के पानी की कमी वाले ब्लॉकों में भूजल की स्थिति सहित पानी की उपलब्धता में सुधार करना है। जेएसए वर्ष 2023-24 में भी जारी है।
6. माननीय प्रधान मंत्री ने 24 अप्रैल 2022 को अमृतसरोवर मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर के एक भाग के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है।
7. भारत सरकार वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता वाले पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्यों के साझेदारी में अगस्त, 2019 से जलजीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल लागू कर रही है। जेजेएम के तहत, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को धनराशि आवंटित करते समय, रसायनिक संदूषकों से प्रभावित बस्तियों में रहने वाली आबादी को 10% वेटेज दिया जाता है।
8. इसके अतरिक्त और भारत सरकार के उपरोक्त प्रयासों को पूरा करने के लिए, पंजाब राज्य सरकार द्वारा भी भूजल उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार के लिए पंजाब जल संसाधन (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2020 और पंजाब जल विनियमन और विकास प्राधिकरण के गठन; पंजाब उप-मृदा जल संरक्षण अध्यादेश, 2008 पारित करने; वर्ष 2019-20 के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन के तहत धान से मक्का तक विविधीकरण करने; भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए निचले बांधों का निर्माण करने, जो राज्य के भूजल संसाधनों को बढ़ाने और गिरते भूजल स्तर को रोकने में मदद करता है; किसानों को उनके द्वारा बचाई गई बिजली की प्रत्येक यूनिट के लिए मौद्रिक लाभ प्रदान करके भूमिगत जल के क्षय को रोकने के लिए "पानी बचाओ, पैसा कमाओ" योजना की शुरूआत करने जैसी विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

****